http://www.developindiagroup.co.in/

एम.पी.पी.एस.सी.

मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा

मुख्य परीक्षा अध्ययन सामग्री

पूर्णतः संशोधित एवं अद्यतन

सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र – II

World Health Organization

Prepared by
Develop India Group

समान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र – II

संविधान, शासन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना

संविधान, शासन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार

भारतीय संविधान का निर्माण अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर था। ब्रिटिश काल के दौरान विकसित लक्षणों ने संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि निर्मित की। ये लक्षण निम्नलिखित हैं :

रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773

- इस ऐक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण का आरम्भ हुआ।
- बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बना।
- मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी बंगाल के अधीन हो गई।
- इसने भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली का आरम्भ किया।
- कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश *सर एलिजाह इम्पे* बने।

पिट्स इंडिया ऐक्ट, 1784

- इस अधिनियम को रेग्युलेटिंग ऐक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया।
- इसके द्वारा भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया गया।
- कम्पनी के शासकीय निकाय अर्थात् निदेशक मंडल के ऊपर छह सदस्यीय *'नियंत्रक मंडल'* का गठन किया गया। भारत मंत्री, वित्त मंत्री, चार प्रीवी काउंसिलर सदस्यों को भारतीय मामलों का आयुक्त बनाया गया।
- पिट्स ऐक्ट की व्यवस्था 1857 तक चलती रही।

1813 का चार्टर ऐक्ट

- कम्पनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार (चाय को छोड़कर) को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई।
- कम्पनी की वाणिज्यिक आय को क्षेत्रीय राजस्व से पृथक कर दिया गया।
- स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया।
- भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया।
- *धर्म विभाग* (एक्लीजिओस्टिकल विभाग) की स्थापना की गई। इस ऐक्ट में नीति–निदेशक तत्त्वों के बीज देखने को मिलते हैं।

1833 का चार्टर ऐक्ट

- ये ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की ओर अंतिम चरण माना जाता है। कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और वह प्रशासनिक संस्था की भूमिका निभाने लगी।
- बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। *लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य* बने।
- बॉम्बे, मद्रास की सरकारों को विधायी अधिकार से वंचित कर दिया गया।
- इसमें यह प्रावधान किया गया कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर किसी को किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
- लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और IPC, CrPC और CPC का निर्माण किया गया।
- पहली बार इस अधिनियम में भारतीय संविधान में वर्णित मूलाधिकारों के बीज देखने को मिलते हैं।

1853 का चार्टर ऐक्ट

- इस ऐक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां पृथक की गईं।
- भारत के लिए अलग विधान परिषद की स्थापना की गई।
- भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
- विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई तथा उसे वीटो पावर भी दी गई।
- कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता प्रणाली को मान्यता दी गई।

http://www.developindiagroup.co.in/